बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांकः—.................

02/एम0एम0(बा0)—29/22—.............................../एम0, राज्यान्तर्गत बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम—29 एवं बिहार बालू खनन नीति, 2019 के प्रावधानों के आलोक में बालूघाटों की बंदोबस्ती ई—नीलामी के माध्यम से करायी जा रही है। कई बालूघाटों की बंदोबस्ती के क्रम में ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं, जिनमें ई—नीलामी पूर्ण होने के उपरांत एवं खनन पट्टा जारी होने के पूर्व उच्चतम डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी की मृत्यु हो गयी है। उच्चतम डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी के मृत्यु के उपरांत उनके कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा अनापत्ति देते हुए बालूघाट संचालन के लिए सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश (LOI) हस्तांतरण के लिए आवेदन समर्पित किया गया है।

2. बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम—27 में खनिज समानुदान के हस्तांतरण का प्रावधान है। इस प्रावधान के आलोक में हस्तांतरण के लिए खनिज समानुदान धारक द्वारा ही आवेदन समर्पित किया जा सकता है। उच्चतम डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी की मृत्यु हो जाने के कारण नियम—27 के तहत आवेदन समर्पित किया जाना संभव नहीं है।

3. मृतक सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश धारक के कानूनी उत्तराधिकारी (Legal Heir) के पक्ष में सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश हस्तांतरण के संबंध में विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त विधिक परामर्श निम्नवत है :—

"I am in agreement with the opinion expressed by Ld. ACS on Pages 62-63 N. It is in larger public interest to permit transfer of lease/settlement in favour of Legal heir of deceased lessee/ settle."

4. बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम—89 के तहत इस नियमावली के उपबंधों को लागू करने में यदि कोई कठिनाई हो तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उपबंध करने में सक्षम है।

5. अतएव उपरोक्त वर्णित परिस्थिति एवं राजस्वहित में बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम—89 के तहत सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया जाता है कि यदि खनन पट्टों की नीलामी पूर्ण होने के उपरांत खनन पट्टा जारी होने तक एवं खनन पट्टा के जारी होने के उपरांत उसकी वैधता की तिथि तक किसी भी चरण में उच्चतम डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी की मृत्यु हो जाती है तो सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित उच्चतम डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी के

कृ0पृ0उ0

कानूनी उत्तराधिकारी (Legal Heirs) के पक्ष में परिवार के सभी सदस्यों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत संशोधित सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश/खनन पट्टा हस्तांतरित करने के लिए संबंधित जिला समाहर्त्ता सक्षम होंगे। खनन पट्टा हस्तांतरण के पश्चात् जिला समाहर्त्ता द्वारा शेष अवधि के लिए संबंधित उत्तराधिकारी के साथ पुनः एकरारनामा किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(धर्मेन्द्र सिंह)
सचिव

ज्ञापांकः–02/एम0एम0(बा0)–29/22–................../एम0, पटना, दिनांकः–........................

प्रतिलिपिः– अवर सचिव (ई–गजट कोषांग), वित्त विभाग को सी0डी0 सहित प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन किया जाए।

ह0/–
सचिव

ज्ञापांकः–02/एम0एम0(बा0)–29/22–................../एम0, पटना, दिनांकः–........................

प्रतिलिपिः– सभी समाहर्त्ता/ सभी सहायक निदेशक/ सभी खनिज विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सचिव

ज्ञापांकः–02/एम0एम0(बा0)–29/22–1881/एम0, पटना, दिनांकः–15/05/24

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ सचिव कोषांग/ निदेशक कोषांग/ मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव 15/05/24